झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

10 रा०(वि०)

संख्या0-म0नि0-II-उ0यो0-45/2017-18/ /मत्स्य, राँची, दिनांक 09/07/2021

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0 भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजनान्तर्गत शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय के तहत् रियरिंग तालाब का निर्माण योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल मो0 320.00 लाख (तीन करोड़ बीस लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत "रियरिंग तालाब का निर्माण" एक चालू प्रकृति की योजना है, जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र में न्यूनतम एक एकड़ के जलक्षेत्र के तालाबों का निर्माण किया जाना है। एक लाभुक को अधिकतम एक एकड़ का लाभ दिया जा सकेगा।

2. इस योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो0 320.00 लाख (तीन करोड़ बीस लाख) रु0 मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 320.00 लाख (तीन करोड़ बीस लाख) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-

मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)
मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय

(राशि लाख रु0 में)

क्र0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-64-रियरिंग तालाब का निर्माण-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य **53 S 44050010164010545**	146.00	146.00
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-64-रियरिंग तालाब का निर्माण-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य **53 S 44050078964010545**	44.00	44.00
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-64-रियरिंग तालाब का निर्माण-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य **53 S 44050079664010545**	130.00	130.00
	कुल योग :	320.00	320.00

मो0 320.00 लाख (तीन करोड़ बीस लाख) रु0 मात्र।

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य-कार्यपालक पदाधिकारी एवं सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी होंगे, जो जिलों को दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा प्राप्त आवंटन के आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिलों के जिला कोषागार से करेंगे।

5. योजना के नियंत्री पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

6. (क) इस योजना अंतर्गत मशीन द्वारा एक एकड़ के तालाबों के निर्माण हेतु मॉडल इकाई लागत मो0 5.008 लाख (पाँच लाख आठ सौ) रु0 मात्र आकलित की गई है। मॉडल प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जिला अभियंता, जिला परिषद राँची से प्राप्त है। परन्तु योजना क्रियान्वयन के पूर्व स्थल निरीक्षण के उपरांत स्थल विशेष पर योजना का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य कराया जाएगा।

(ख) इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के लाभुकों के एक एकड़ के तालाब निर्माण हेतु राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत् (अधिकतम 4.00 लाख रू0) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत् (अधिकतम 3.50 लाख रू0) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा।

यदि स्थल विशेष हेतु योजना प्राक्कलन की राशि प्रति एकड़ मो0 5.008 लाख (पाँच लाख आठ सौ) रु0 मात्र से अधिक होगी तो भी कंडिका 6 (ख) में उपरोक्त अंकित कोटिवार निर्धारित अनुदान की राशि ही देय होगा। प्राक्कलित दर में किसी प्रकार की वृद्धि होने पर वर्द्धित राशि का भुगतान लाभुक द्वारा वहन किया जाएगा।

साथ ही यदि प्राक्कलित राशि, मॉडल प्राक्कलन की राशि से कम होगी तो अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान प्राक्कलित राशि का 80 प्रतिशत् तथा अन्य सभी कोटि के लिये राज्य सरकार का अंशदान प्राक्कलित राशि का 70 प्रतिशत् होगा।

7. नए तालाब निर्माण हेतु लाभुकों के चयन की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :

7.1 लाभुकों का चयन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदनों में से अथवा सिंगल विंडो से प्राप्त आवेदनों में से जिला परिषद द्वारा किया जायेगा।

7.2 लाभुकों का चयन निम्न अहर्ताओं के आधार पर किया जायेगा :-

7.2.1 जिन लाभुकों के घर के नजदीक प्रस्तावित एक, दो या तीन नम्बर की दोन जमीन है तथा पूर्व से मछली पालन के कार्य से जुड़े हैं अथवा जिन्होंने विभागीय अनुदान पर मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण कराया है, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

7.2.2 तालाब निर्माण हेतु लाभुक द्वारा प्रस्तावित भूमि अविवादित होनी चाहिए तथा 100 डी0 जलक्षेत्र निर्माण हेतु आवश्यक भूमि कम-से-कम 130 डी0 एवं इससे बड़े तालाबों के लिए जलक्षेत्र एवं आवश्यक भूमि का अनुपात कम-से-कम 1:1.3 होना चाहिए।

7.2.3 लाभुक के द्वारा प्रस्तावित भूमि पहले से बैंक में किसी ऋण के एवज में बन्धक नहीं हो।

7.2.4 लाभुक द्वारा प्रस्तावित भू-खण्ड पर उसका वैध दखल कब्जा बरकरार हो, जिसका कागजात संलग्न करना होगा।

7.2.5 चूँकि इस योजना में तालाब निर्माण हेतु लाभुक का भी अंशदान निहित है, अतः उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए।

7.3 उपयुक्त भूमि एवं लाभुकों का पारदर्शी तरीके से चयन कराने एवं प्रस्तावित भूमि पर पूर्व से किसी प्रकार का तालाब निर्माण का कार्य नहीं किया गया हो, की पूरी जिम्मेवारी संबंधित प्रभारी मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

7.4 लाभुक द्वारा प्रस्तावित भू-खण्ड पर कार्य शुरु होने से पूर्व प्रस्तावित भू-खण्ड का, निर्माण कार्य के मध्य में तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत लाभुक सहित फोटोग्राफ (**Latitude & Longitude** के साथ) संलग्न करना होगा, जो अभिलेख का अभिन्न अंग होगा।

8. लाभुक का अंशदान सुनिश्चित करने के लिए ले-आउट तथा समानुपातिक खुदाई का व्यय लाभुक के अंशदान से किया जाये।

9. लाभुक के द्वारा नये तालाबों का निर्माण, स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप मशीन/मजदूर के माध्यम से संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा नामित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता अथवा भूमि संरक्षण निदेशालय के अभियंत्रण कोषांग के मार्ग-दर्शन में कराया जायेगा। संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल की अंतिम मापी के पूर्व भी कनीय अभियंता द्वारा कार्य का निरीक्षण किया जाये। अंतिम मापी की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित कनीय अभियंता की होगी।

10. तालाब की मेड़ का सुदृढ़ीकरण एवं घास तथा छोटे पौधे आदि लगाने का कार्य लाभुक के द्वारा अपने अतिरिक्त व्यय पर कराया जायेगा ताकि बरसात में तालाब की मेड़ से मिट्टी तालाब में न जाने पाए। इस क्रम में पानी की प्रविष्टि हेतु इनलेट तैयार करने पर लाभुक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा।

संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ जिला मत्स्य पदाधिकारी, लाभुकों के तालाब निर्माण का स्थल निरीक्षण करेंगे एवं इस प्रयोजन हेतु संधारित स्थल निरीक्षण पंजी में प्रविष्टि करेंगे।

11. तालाब निर्माण कार्य स्थल पर सुगोचर स्थान पर सूचना पट्ट लगाया जाएगा, जिसमें योजना का नाम/वर्ष/प्राक्कलित राशि/अनुदान राशि/लाभुक का नाम एवं स्थान अंकित रहेगा। इसके अलावा निर्माण कार्य आरंभ करने के पूर्व एवं प्रत्येक 15 दिन पर फोटोग्राफी/विडियोग्राफी कराया जाए। सूचना पट्ट का व्यय लाभुक द्वारा किया जायेगा। इस योजना के तहत चयनित योजना स्थल का **Geo Tagging** कराना सुनिश्चित किया जाए।

12. नए तालाबों के निर्माण हेतु जिलावार एवं उप शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न रुप से है :

वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय अन्तर्गत

उप शीर्ष–64–रियरिंग तालाब का निर्माण योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	जिला का नाम	789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना				101–अन्तर्देशीय मछली पालन				कुल वित्तीय लक्ष्य	कुल भौतिक लक्ष्य
				अनुसूचित जनजाति		अन्य कोटि		अनुसूचित जनजाति		अन्य कोटि			
		भौतिक लक्ष्य एकड़ में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	(लाख रु0 में)	(एकड़ में)
1	राँची	2	8.00	2	8.00	2	7.00	0	0.00	0	0.00	23.00	6
2	खूँटी	0	0.00	1	4.00	1	3.50	0	0.00	0	0.00	7.50	2
3	चाईबासा	0	0.00	1	4.00	2	7.00	0	0.00	0	0.00	11.00	3
4	सरायकेला	0	0.00	1	4.00	2	7.00	0	0.00	0	0.00	11.00	3
5	जमशेदपुर	0	0.00	1	4.00	1	3.50	0	0.00	0	0.00	7.50	2
6	गुमला	0	0.00	1	4.00	1	3.50	0	0.00	0	0.00	7.50	2
7	सिमडेगा	0	0.00	1	4.00	1	3.50	0	0.00	0	0.00	7.50	2
8	लोहरदगा	0	0.00	1	4.00	1	3.50	0	0.00	0	0.00	7.50	2
9	लातेहार	0	0.00	1	4.00	1	3.50	0	0.00	0	0.00	7.50	2
10	दुमका	1	4.00	2	8.00	5	17.50	0	0.00	0	0.00	29.50	8
11	साहेबगंज	0	0.00	1	4.00	1	3.50	0	0.00	0	0.00	7.50	2
12	पाकुड़	0	0.00	1	4.00	1	3.50	0	0.00	0	0.00	7.50	2
13	जामताड़ा	0	0.00	1	4.00	1	3.50	0	0.00	0	0.00	7.50	2
14	हजारीबाग	1	4.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	4	14.00	22.00	6
15	रामगढ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	2	7.00	11.00	3
16	कोडरमा	1	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	10.50	14.50	4
17	चतरा	1	4.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	2	7.00	15.00	4
18	बोकारो	1	4.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	2	7.00	15.00	4
19	गिरिडीह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	7.00	7.00	2
20	धनबाद	1	4.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	2	7.00	15.00	4
21	गोड्डा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	1	3.50	7.50	2
22	पलामू	1	4.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	2	7.00	15.00	4
23	गढ़वा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	1	3.50	7.50	2
24	देवघर	2	8.00	0	0.00	0	0.00	4	16.00	7	24.50	48.50	13
कुल :		11	44.00	15	60.00	20	70.00	12	48.00	28	98.00	320.00	86

13. रियरिंग तालाब निर्माण हेतु चयनित लाभुकों के बैंक खाते में राशि डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी प्राक्कलन एवं अनुपातिक कार्य की प्रगति के अनुसार कम से कम तीन किस्तों में निम्न प्रकार से राशि विमुक्त करेंगे :

किस्त	राशि (रुपये में)	भौतिक प्रगति
प्रथम	1,00,000/-	एक से दो फीट खुदाई
द्वितीय	2,00,000/-	तीन फीट खुदाई
तृतीय	अनुदान की शेष राशि	पूरी खुदाई एवं ड्रेसिंग इत्यादि के पश्चात्

14. स्थल निरीक्षण के उपरांत, स्थल विशेष के अनुरुप भी अलग से योजना प्राक्कलन तैयार कराया जा सकता है, ताकि तालाब निर्माण का कार्य उचित तकनीकी मार्ग-दर्शन में सुगमता से कराया जा सकेगा।
किन्तु किसी भी हाल में स्वीकृत समानुपातिक प्राक्कलित राशि से अधिक राशि की विमुक्ति अनुमान्य नहीं होगी।

अतिरिक्त राशि का व्यय लाभुक को स्वयं वहन करना होगा।

15. एक एकड़ रकबा के तालाब निर्माण का अर्थ एक एकड़ जलक्षेत्र के निर्माण से है।

16. जिला मत्स्य पदाधिकारी इसके लिये तकनीकी सलाह लिखित रुप में लाभुकों को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित जिला मत्स्य कार्यालयों में इस योजना हेतु अलग से एक पंजी संधारित की जाएगी।

17. तालाब निर्माण के पूर्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं लाभुक के बीच एक एकरारनामा किया जायेगा।

18. योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण की गुणवत्ता प्राक्कलन के अनुरुप कराना संबन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। चयन के उपरान्त लाभुक के द्वारा तालाब निर्माण में शिथिलता बरतने अथवा अपना अंशदान नहीं लगाने पर उनपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

19. प्राथमिक स्तर पर प्रखण्ड प्रभारी मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक एवं द्वितीय स्तर पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण तथा स्थल निरीक्षण किया जाएगा। निदेशालय स्तर पर उप मत्स्य निदेशक, योजना, प्रसार एवं अनुश्रवण/जलाशय/ सहायक मत्स्य निदेशक (तकनीकी) इस योजना के अंतर्गत राज्य के भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा कर प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे तथा भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करायेंगे। निदेशालय स्तर पर आवश्यकतानुसार योजना का समय-समय पर मूल्यांकन कराया जाएगा।

20. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

21. वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो0 250.00 लाख रु0 मात्र में से मो0 231.46 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया।

22. योजना के अन्तर्गत कोई भी राशि अग्रिम के समायोजन हेतु शेष नहीं है।

23. यह एक राज्य योजना है।

24. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

25. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

26. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

27. स्वीकृत राशि का व्यय बजट उपबंध के अंतर्गत हो। किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण ना हो तथा विषयगत् योजनान्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य प्राक्कलन के विशिष्टयों के अनुरुप किया जाय।

28. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आन्तरिक वितीय सलाहकार की सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त है :-

I व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत हो।

II किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण न हो।

III स्वीकृत्यादेश प्रारुप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्त्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

29. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

30. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट **www.jharkhandfisheries.org** पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1021(वि0) मत्स्य / रॉंची , दिनांक 09/07/2021

प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, रॉंची/ जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1021(वि0) मत्स्य / रॉंची , दिनांक 09/07/2021

प्रतिलिपि योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग) झारखण्ड, रॉंची /विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1021(वि0) मत्स्य / रॉंची , दिनांक 09/07/2021

प्रतिलिपि माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉंची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव